संख्या-- 264 / III(2) / 17--51(एम0एल0ए0) / 2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग--2 देहरादून : दिनांक 19 मई, 2017

विषय:-- वित्तीय वर्ष 2017--18 में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर / रानीखेत के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्र0का0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये 04 विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई 16.65 किमी0 एवं लागत **₹ 774.39 लाख** है, पर **विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 774.39 लाख (रू0 सात करोड़ चौहत्तर लाख उनचालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017--18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख अर्थात 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय- सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं क्रय के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में नियर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़के–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 83/XXVII/(2)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या–204 /III(2)/17–51(एम0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक 251 / 20 मा0सा0 का0–2017 दिनांक 20.5.2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लो.नि.वि. अल्मोड़ा सम्भवतः।
4. कनिष्ठ अभियन्ता, प्राविधिक कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. देहरादून।
5. बजट वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0 देहरादून।
6. अधिशासी अभियंता, अधि0 ही0 सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।

20/5/17
[illegible]
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं [illegible]
लो0नि0वि0 [illegible]

संख्या– 287 / III(2)/17–51(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19 मई, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद अल्मोड़ा के **विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत** के अन्तर्गत चौबटिया कुनलाखेत बमस्यू मोटर मार्ग से मंडगांव के मध्य मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण) (डी0पी0आर0)	1.50	82.82	0.10
2	जनपद अल्मोड़ा के **विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर** के अन्तर्गत नैनी जाना गिनाई मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	8.00	341.94	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के **विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर** के अन्तर्गत कालिका दलमोटी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	5.40	225.78	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1909/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के **विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर** के अन्तर्गत मजखाली–सुन्दरखाल– बिटुलिया मोटर मार्ग के अवशेष भाग के पार्ट–I एवं पार्ट–II का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1.750	123.85	0.10
	कुल	16.65	774.39	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव